<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 03/05//2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याः वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 02.05.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01. स्वाट टीम व थाना बहरियाबाद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 01 गांजा तस्कर को 10 किलो नाजायज गांजा लगभग कीमत कुल 2.5 लाख रुपये व 01 अदद बिना नं0 प्लेट मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।</u>

अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सैदपुर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद मय हमराह पुलिस बल व स्वाट सर्विलांस टीम के द्वारा दिनांक 01.05.2024 को मुखबीरी सूचना के आधार पर उदन्ती नदी पुल बहरियाबाद गाजीपुर के पास से एक बिना नम्बर प्लेट की सुपर स्प्लेंडर मोटर साईकिल सवार व्यक्ति को मोटर साईकिल की पिछली सीट पर बोरी में बांधकर 10 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा ले जाते समय गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त सुनील यादव पुत्र शामू यादव निवासी गहनी (फौलादपुर) थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा बताया गया कि वह भारी मात्रा मे गांजा ले जाते समय पूर्व में जनपद आजमगढ़ से जेल जा चुका है। जिसके कारण आर्थिक तंगी बदहाली होने पर पुन: गांजे के व्यवसाय मे लगकर असम उड़ीसा से कम दामों में गांजा लाकर अपने यहाँ के चट्टी चौराहो के फुटकर दुकानदारों को ऊंचे दामों में बेचकर अपने नुकसान की भरपाई मे लगा था, पुलिस व मुखबीरी सूचना से बचने के लिए अपने मोटर साईकिल की नम्बर प्लेट UP61V1109 को निकालकर बिना नम्बर प्लेट की मोटर साईकिल से गांजा ले जा रहा था, कि फिर से बहरियाबाद पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 42/2024 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -</u>

1. सुनील यादव पुत्र शामू यादव निवासी गहनी(फौलादपुर) थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर।

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –</u>

1 मु0अ0सं0 42/2024 धारा 8/20 NDPS ACT थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर।

2. मु0अ0सं0 262/2022 धारा 8/20/29 NDPS ACT थाना तरवाँ जनपद आजमगढ।

3. मु0अ0सं0 94/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़।

बरामदगीः का विवरण -

1. 10 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा
2. 01 अदद सुपर स्प्लेंडर मोटर साईकिल नं0 UP61V1109
3. एक अदद एन्ड्रायड मोबाईल कम्पनी वीवो

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व घटनास्थल –

गिरफ्तारी का दिनांक 01.05.2024 समय 20.30 बजे, उदन्ती नदी पुल बहरियाबाद गाजीपुर

02. थाना भांवरकोल पुलिस द्वारा एसटी न० 3540/04 धारा 498A,323,504,506 DP एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी को गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के निकट पर्यवेक्षण में व मुझ थानाध्यक्ष के नेतृत्व में दिनांक 01.05.2024 को माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डी0) कक्ष सं0- 03 मुहम्मदाबाद गाजीपुर द्वारा जारी एसटी न० 3540/04 धारा 498A,323,504,506 DP एक्ट थाना भांवरकोल से सम्बन्धित वारन्टी कमरुद्दीन अन्सारी पुत्र अब्दुल अन्सारी उर्फ झुल्लर निवासी ग्राम दर्जी मुहल्ला, नई बाजार थाना आदर्श नगर जिला बक्सर बिहार को उ0नि0 श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय मय हमराह हो0गा0 मुन्ना खरवार द्वारा अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. कमरुद्दीन अन्सारी पुत्र अब्दुल अन्सारी उर्फ झुल्लर निवासी ग्राम दर्जी मुहल्ला, नई बाजार थाना आदर्श नगर जिला बक्सर बिहार।

03. थाना कासिमाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 96/2024 धारा 363/376(3)/323/504 भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रामसजन नागर थाना कासिमाबाद गाजीपुर के कुशल नेतृत्व में कासिमाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 96/2024 धारा 363/376(3)/323/504 भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार। उल्लेखनीय है कि वादी फत्तेबहादुर चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान ग्राम शहबाजपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 02.05.204 को उ0नि0 पल्लवी सिंह थाना कासिमाबाद गाजीपुर मय हमराह मुकदमा उपरोक्त के नामित अभियुक्त मंजीत चौहन पुत्र अवधेश चौहान निवासी ग्राम शहबाजपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पुल से करीब 50 मीटर पहले कासिमाबाद से मऊ रोड पर कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 06.20 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त:-

1. मंजीत चौहन पुत्र अवधेश चौहान निवासी ग्राम शहबाजपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 96/2024 धारा 363/376(3)/323/504 भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर